



2026:AHC:21904

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 382/2026

गणेश एवं 2 अन्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

रामदास एवं 5 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सुरेश कुमार मौर्य

प्रतिवादी के अधिवक्ता : आज़ाद राय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक,

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. प्रस्तुत रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित अनुतोष की मांग करते हुए दायर की गई है:-

"विद्वान उप संचालक चकबंदी, फतेहपुर को यह निर्देश देने हेतु कि वे उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 48(1) के अंतर्गत दायर निगरानी संख्या - 351/2024 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या - 202454022500000334) (गणेश एवं अन्य बनाम रामदास एवं अन्य) को इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर शीघ्रता से निर्णीत करें।"

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपरोक्त वाद को शीघ्रता से निर्णीत करने का निर्देश जारी किया जाता है।

4. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, अतः यह न्यायालय याचिका में वर्णित तथ्यों के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है। प्रतिवादी संख्या 4 को निर्देशित किया जाता है कि वह संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, विधि के अनुसार सख्ती से, एक सकारण और सुस्पष्ट आदेश के माध्यम से उपरोक्त वाद को शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर निर्णीत करें।

5. उपरोक्त निर्देशों के साथ, यह याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

2 फरवरी, 2026

वी.के.जी.

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

#### अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"